Statement

State-wise Break up of Foreign Direct Investment Approval during August 1991 to April 1998

State	Amount of FDI Approved (Rs. Crores)
Andhra Pradesh	5649.44
Assam	1.50
Bihar	185.37
Gujarat	8503.13
Haryana	2071.88
Himachal Pradesh	344.16
Jamnu & Kashmir	8.01
Karnataka	8719.86
Kerala	547.31
Madhya Pradesh	7323.77
Maharashtra	20389.14
Manipur	3.19
Meghalaya	8.50
Nagaland	3.68
Orissa	7647.63
Punjab	1805.59
Rajasthan	212.38
Tamil Nadu	9946.62
Tripura	0.68
Uttar Pradesh	2903.90
West Bengal	7199.75
Andaman & Nicobar	0.98
Arunchal Pradesh	11.06
Chandigarh	72.52
Dadra & Nagar Haveli	8.03
Delhi	22792.54
Goa	403.88
Lakshadweep	0.50
Pondicherry	350.84
Daman & Diu	70.01
Others	50964.57

CAG report on debt trap

2954. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the latest report of the Comptroller and Auditor Genral (CAG) has painted an alarming piciture of an internal debt trap, according to which 60% of the total Government disbursements go to the debt servicing;

(b) if so, the cicrumstance leading to such a situation; and

(c) whether any comprehensive plan to resolve the problem has been worked out by Government; if so, the details thereof and the steps taken in pursuance thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINGH): (a) The report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 1997 has mentioned that the total liability of the Union Government increased from Rs. 480467 crore in 1992-93 to Rs. 770513 crore in 1996-97 which constituted an increase of 60%.

(b) The increase in liabilites has been due to successive fiscal deficits representing the gap between total expenditure and non-debt receipts.

(c) Government would endeavour to contrain the fiscal deficit in the current financial year 1998-99 at the budgeted level by maximising non-debt receipts and controlling expenditure.

रुप उद्योगो में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश

2955. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलबंत सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के कारण उद्योगो में वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश की गई पूंजी बेकार एवं अनुत्पादक हो कर रह गई है,

(ख) यदि हां, तो बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा मार्च, 1998 के अंत तक लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों में निवेशित कुल पूंजी कितनी है जो औद्योगिक काणता के कारण बेकार एवं अनुत्पादक पड़ी हुई है, और

(ग) इस पूंजी को पुनः उत्पादक कार्य में लगाने के लिये सरकार की भीवी योजना क्या है?

वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.जनार्दन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक विवरणियों के आधार पर मार्च , 1997 के अंत कि स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) रुग्ण लघु उद्योंगों (एस एस आई) और गैर एस एस आई (रुग्ण/कमजोर) औद्योगिक इकाइयों के बकाया ऋण निम्नासार है,

(रुपये करोड़ में)

1. रुग्ण – एस एस आई	3609-20
2. गैर-एस एस आई रुग्ण	8613.95
3. गैर-एस एस आई कमजोर	1563.86
कुल	13787.01

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 1998 के अन्त की स्थिति के अनुसार वित्तीय संस्थाओं की निवेश सूची (पोर्टफोलियों) में रुग्ण इकाइयों की स्थिति निम्नलिखित है:

संस्थाएं	मामले की संख्या	बकाया सहायता (रुपये करोड़ में)
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई)	725	3228
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आई एफ सी आई)	370	1040
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई सी आई सी आई)	115	202
भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि. (आई आई ई बी आई)	349	317

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संभाव्य रुप से सक्षम पाई गई रुग्ण/दुर्बल इकाइयों (रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों/ समेत को उनके संबंध में पुनर्वास पैकेज के प्रारुपण/कार्यान्वयन से संबंधित विस्तुत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ साथ ये शामिल हैः- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बर्तमान देयों के लिए उसकी वापसी अदायगी की बड़ी हुई अवधि (7 से 10 मार्च) में चरणबद्व तरीके से निधि प्रदान करना/ब्याज में रियायत, नए मीयादी ऋण तथा नई कार्यशील पूंजी सुविधाएं भी प्रदान करना। जहां तक गैर एस एस आई औद्योगिक कंपनियों समेत रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) का संबंध है, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (निवेश उपबंध) अधिनियम 1935 के अंतर्गत गठित एक अर्द्व न्यायिक निकाय, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमार्ण बोर्ड (बाइफर,) उपचारत्मक तथा अन्य उपाय करता है तथा ऐसे उपायों को शीघ्र लागू करने के लिए कदम उठाता है। बैंक, उन रुग्ण/दुर्बल इकाइयों, जो गैर अर्थक्षम पाई जाती है, से देयों की बसूली की लिये न्यायिक कार्रवाई/अन्य उपाय करता है। पुनर्वास के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के कार्यनिष्पादन तथा रुग्ण इकाइयों से देयों की वसूली की निगरानी भी समय समय पर की जाती है।

विदेशी निवेशकों पर प्रतिबंध

2956. **श्री नागमणि**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने विदेशी निवेशकों द्वारा अपनी पूंजी और अर्जित लाभ को अपने देश वापस पूंजी किसी भी समय वापस लेने के लिये स्वतंत्र है अथवा इस प्रयोजनार्थ उसे एक निश्क्षित अवधि तक इंतजार करना पड़ता है, और

(ग) अनिवासी भारतीयों द्वारा किये गये निवेशों सहित अब तक देश मे कुल कितना विदेशी निवेश किया गया है तथा निवेश का देशवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) और (ख) विदेशी निवेश के संबंध में पूंजी और लाभांशा के प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सिवाय इस बात के कि उपभोक्ता व्सतु क्षेत्र में 22 विनिर्दिष्ट उद्योगों में विदेशी निवेश के लिये लाभांशा संतुलन की शर्त लगाई जाती है। लाभांशा संतुलन की शर्त के अधीन लाभांशा-भुगतान के परिणामस्वरुप विदेशी मुद्रा के बहिप्राप निर्यात अर्जनों द्वारा संतुलि किये जाने होते हैं।